

न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या -62/2016, 67/2016, 66/2016 एवं 65/2016 जिला दौसा

1. जगदीश
2. रामजी लाल
3. रामकिशोर
4. रामखिलाडी

पुत्रान श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी बीलका, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूली देवी यथाकित बेवा हरिनारायण पत्नि गोपाल
2. गोपाल पुत्र सालगा
3. मु. सुन्दरी बेवा गोपी
4. तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 12.3.2016 बाबत
नामांतरकरण संख्या 248 दिनांक 16.5.1990 वाके ग्रम बीलका , ग्रम पंचायत बीछा , तहसील
रामगढ पचवारा

अपील संख्या 67/2016

1. जगदीश
2. रामजी लाल
3. रामकिशोर
4. रामखिलाडी

पुत्रान श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी बीलका, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूली देवी यथाकित बेवा हरिनारायण पत्नि गोपाल
2. गोपाल पुत्र सालगा
3. मु. सुन्दरी बेवा गोपी
4. तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 18.5.2016 बाबत
नामांतरकरण संख्या 248 दिनांक 16.5.1990 वाके ग्रम बीलका , ग्रम पंचायत बीछा , तहसील
रामगढ पचवारा

अपील संख्या 66/2016

1. जगदीश
2. रामजी लाल
3. रामकिशोर
4. रामखिलाडी

पुत्रान श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी बीलका, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूली देवी यथाकित बेवा हरिनारायण पत्नि गोपाल
2. गोपाल पुत्र सालगा
3. मु. सुन्दरी बेवा गोपी
जाति गूर्जर, निवासी बीलका, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
4. तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पॉन्डेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 12.3.2016 बाबत
नामांतरकरण संख्या 245 दिनांक 16.5.1990 वाके ग्रम बीलका, ग्रम पंचायत बीछा, तहसील
रामगढ पचवारा

अपील संख्या 65/2016

1. जगदीश
2. रामजी लाल
3. रामकिशोर
4. रामखिलाडी
पुत्रान श्रवण, जाति गुर्जर, निवासी बीलका, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूली देवी यथाकित बेवा हरिनारायण पत्नि गोपाल
2. गोपाल पुत्र सालगा
3. मु. सुन्दरी बेवा गोपी
जाति गूर्जर, निवासी बीलका, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
4. तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।

रेस्पॉन्डेन्ट्स

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 18.5.2016 बाबत
नामांतरकरण संख्या 245 दिनांक 16.5.1990 वाके ग्रम बीलका, ग्रम पंचायत बीछा, तहसील
रामगढ पचवारा

उपस्थित—

1. वकल अपीलान्ट श्री उमेश गौड
2. वकील रेस्पॉन्डेन्ट श्री जगदीश नारायण शर्मा

निर्णय

दिनांक – 31.10.2017

यह चारों अपीलें क्रमशः उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.3.2016 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 18.5.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । चारों अपीलों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दू समान होने के कारण इन चारों अपीलों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति सभी पत्रावलियों में रखी जावे । चारों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :-

यह कि ग्रम बीलका, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 169 रकबा 15 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 221 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 222 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 273 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 32 बीघा 8 बिस्वा के खातेदार जगदीश, रामजी लाल, किशोर, रामखिलाडी पि. श्रवण, हरिनारायण, गोपी, गोपाल पि. सालगा हिस्सा 1/2 थे जिनमें से खातेदार हरिनारायण के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 248 पटवारी हल्का द्वारा जगदीश, रामजी लाल, किशोर, रामखिलाडी पि. सरवण, गोपी, गोपाल पि. सालगा के नाम भरा गया जिसे ग्रम पंचायत बीछा द्वारा दिनांक 16.5.90 को स्वीकार

किया गया। इसके अतिरिक्त इसी ग्राम स्थित आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 225 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 269 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 153/1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 153/2 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा के खातेदार सरवण, हरीनारायण, गोपी, गोपाल पि. सालगा, हडपाल पुत्र भैरू, हजारी पुत्र भैरू, नारायण रामसहाय पि. सुखपाल में से सरवण, हरिनारायण, हडपाल, हजारी के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 245 पटवारी हल्का द्वारा जगदीश, रामजी लाल, रामकिशोर, रामखिलाडी पि. सरवण, गोपी, गोपाल पि. सालगा, लादू पुत्र हडपाल, गंगू पुत्र हजारी, नारायण, रामसहाय पि. सुखपाल के नाम भरा गया जिसे ग्राम पंचायत बीछा द्वारा दिनांक 16.5.1990 को स्वीकार किया गया।

उक्त दोनों नामांतरकरणों से व्यथित होकर मृतक खातेदार हरिनारायण की बेवा मूली देवी द्वारा पृथक पृथक अपीलें न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 248 एवं 245 दिनांक 16.5.90 निरस्त किये जाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा को आदेश दिये गये कि अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत निर्णय एक माह में पारित करें।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के निर्णयों की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा वादी व प्रतिवादी की समुचित सुनवाई कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.5.2016 पारित किये कि नामांतरकरण संख्या 248 एवं 245 ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का द्वारा विधि विरुद्ध दायर कर स्वीकार किये गये हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पति की सम्पत्ति से पत्नी को वंचित नहीं किया जा सकता। अतः स्व. हरिनारायण की विधिक वारिस उसकी पत्नी मूली देवी को मानते हुए नामांतरकरण दायर कर स्वीकार करने के आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी लालसोट के उपरोक्त दोनों निर्णय दिनांक 12.3.2016 एवं इनकी अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पारित दोनों निर्णय दिनांक 18.5.2016 से व्यथित होकर अपीलान्तस जगदीश वगैहरा द्वारा यह चारों अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

चारों अपीलें प्रस्तुत होने पर रैस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खातेदार हरिनारायण की मृत्यु होने पर उसकी बेवा रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 मूली गोपाल के नाते बैठ गई थी। नामांतरकरण राजस्व अभियान शिविर बीछा में तस्दीक हेतु पेश हुये ओर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 16.5.1990 को नामांतरकरण तस्दीक किये जाने के पश्चात् 26 वर्षों से पक्षकारान की खातेदारी चली आ रही है एवं अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 मूली रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 गोपाल के साथ रह रही है जिनके 9 संताने हैं। रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 के नाते बैठने का अंकन पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण पर किया हुआ है। रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पति के रूप में रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है। रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 की नियत में 25 वर्षों बाद बेईमानी आने के कारण नामांतरकरणों के खिलाफ अपीलें रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 से प्रस्तुत करवाई है। उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश अपीलान्तस को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किये हैं, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है। अपीलान्तस को उप खण्ड अधिकारी के निर्णय की जानकारी दिनांक 9.5.16 को होने पर एवं इसकी नकल दिनांक 20.5.16 को प्राप्त होने पर धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपीलें पेश की है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये न्यायहित में विलम्ब को क्षमा कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावे। तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलाधीन आदेश तथ्यात्मक जांच किये बिना पारित किये हैं, जो खण्डनीय है। तहसीलदार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार स्व. हरिनारायण की विधवा रैस्पोंडेन्ट संख्या 1 मूली देवी को वारिस माना है जबकि वह विधवा नहीं होकर रैस्पोंडेन्ट संख्या 2 की पत्नि है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार का निष्कर्ष असत्य एवं निराधार है। उनका कहना था कि उप खण्ड अधिकारी के आदेश की अपील न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष प्रस्तुत करने के तथ्य से तहसीलदार को अवगत करवा दिया था लेकिन फिर भी तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो

त्रुटिपूर्ण एवं विधिविरुद्ध है । अतः चारों अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के पति हरिनारायण थे जिनके फौत होने पर विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण मे रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मूली देवी बेवा हरिनारायण को छोड़ दिया गया जबकि वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधिक वारिस है । उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की अपीलों को स्वीकार करते हुये नामांतरकरणों को निरस्त कर प्रकरण उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया था तथा उक्त आदेश की अनुपालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कर स्व. हरिनारायण की विधिक वारिस उसकी पत्नी मूली देवी को मानते हुये नामांतरकरण दायर कर स्वीकार करने के आदेश दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । उनका कहना था कि अपीलान्तस द्वारा उप खण्ड अधिकारी के रिमाण्ड आदेश को चुनौति दी है जबकि तहसीलदार ने उप खण्ड अधिकारी के आदेश की पालना में पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये निर्णय पारित किये जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में उक्त अपीलें प्रभावहीन हो गई है एवं खारिज किये जाने योग्य है । अतः चारों अपील अपीलान्त खारिज की जावे । उनके द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1991 पेज 159, आर.आर.डी. 1978 पेज 44, डब्ल्यू.एल.एन. 1988(1) पेज 355, आर. आर.डी. 1956 पेज 216, आर.आर.डी. 1992 पेज 294, आर.आर.सी. 1987 पेज 6, आर.आर.डी. 1997 पेज 105, आर.आर.डी. 1984 पेज 862 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार हरिनारायण की विरासत का है । मृतक खातेदार हरिनारायण की विरासत के प्रश्नगत नामांतरकरण ग्राम पंचायत द्वारा मृतक हरिनारायण की विधवा रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मूली देवी को छोड़ते हुये अन्य के नाम तस्दीक किये हैं । दोनों नामांतरकरणों के खिलाफ मृतक खातेदार हरिनारायण की बेवा मूली देवी की अपीलें उप खण्ड अधिकारी लालसोट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2016 द्वारा स्वीकार की जाकर नामांतरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिसम्मत निर्णय पारित करें । उप खण्ड अधिकारी के इस निर्णय की पालना में तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2016 को पारित कर नामांतरकरण संख्या 245 एवं 248 को ग्राम पंचायत व पटवारी हल्का द्वारा विधिविरुद्ध दायर कर स्वीकार करना एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पति की सम्पत्ति से पत्नी को वंचित नहीं करना मानते हुये स्व. हरिनारायण की विधिक वारिस उसकी पत्नी मूली देवी को मानते हुये नामांतरकरण दायर कर स्वीकार करने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मूली देवी मृतक खातेदार हरिनारायण की विधवा होने से विधिक वारिस है जिसको प्रश्नगत नामांतरकरणों में छोड़ना विधिक नहीं है । उप खण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2016 द्वारा मूली देवी की अपील स्वीकार प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज कर प्रकरण अपीलान्त को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया जाना एवं उप खण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.5.2016 द्वारा स्व. हरिनारायण की विधिक वारिस उसकी पत्नी मूली देवी को मानते हुये उसके नाम नामांतरकरण दायर कर स्वीकार करने के आदेश दिये गये हैं जिनमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं एवं चारों अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप चारों अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट दिनांक 12.3.2016 एवं तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 18.5.2016 यथावत रखे जाते हैं ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त,

जयपुर